दिनांक– 05.12.2017 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के **(DLSA) front office & Legal aid clinic Uttarkashi)** पर बतौर **PLV** जब मैं दिन 11.00 बजे फ्रंट आफिस पर था तो जनपद उत्तरकाशी के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र झाला जो चारधाम गंगोत्री से महज 15 से 20 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है, के करीब 12 सेब के काश्तकार आये और बताया कि सितम्बर 2017 के द्वितीय सप्ताह में गोपाल शर्मा नामक एक सेब का व्यापारी ट्रक लेकर आया और सभी काश्तकारों से सेब क्रय कर ले गया, जाते वक्त कुछ पैसे नगद देकर शेष राशि की एवज में सभी पीड़ित काश्तकारों को एक–एक किसी को दो–दो लाख के चैक सेब की मात्रा के हिसाब से अपने हिमांचल प्रदेश स्थित बैंक शाखा के जारी किये, और सभी पर माह अक्टूबर की तिथियां अंकित की, लेकिन नियत तिथियों पर सभी पड़ित काश्तकारों के चैक खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण एक–एक कर सभी चैक **Dishonor** (अनादरित) हो गये। पुलिस थाना हर्षिल के पास शिकायत करने के लिये पीड़ित काश्तकारों के पास सेब व्यापारी ठग कर कोई भी अता–पता न होने के कारण पुलिस ने मामले में कार्यवाही करने में अमर्थता जाहिर की। इस मामले में मेरे द्वारा सभी पीड़ित फरियादियों को सचिव महोदय **(DLSA)** से मिलवाया गया तो सचिव महोदय द्वारा इसकी शिकायत व पता निकलवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देने की हिदायत दी गयी। मेरे द्वारा सभी फरियादियों को उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी के समक्ष ले जाकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी को अविलम्ब लिखित एवं टेलिफोनिक मैसेज द्वारा मामला प्रथमदृष्टया ठगी का होने के कारण सम्बन्धित बैंक शाखा से आरोपी का नाम पता खंगालने के आदेश जारी किये, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्यवाही की गयी तो थाना हर्षिल की पुलिस द्वारा सोलन (हि0प्र0) जाकर आरोपी का नाम, वल्दियत व पता हासिल किया, जिसके आधार पर फरियादियाओं की ओर से आरोपी को एन0आई0 एक्ट की धारा– 138 के तहत कानूनी नोटिस जारी करवाये गये जो उस पर तामील हुये, उसके बाद न्याायालय में परिवाद दायर किया गया जो वर्तमान में विचाराधीन है और फरियादियों को न्याय मिलने की पूरी–2 उम्मीद है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जनपद में संचालित "परिवार कल्याण समिति" Family welfare committee में बतौर सदस्य धारा– 498 (क) भा0द0सं0 के मामलों की काउंसलिंग में पक्षकारों के मध्य करवाये गये आपसी सुलहनामों का विवरण–

कार्यालय महिला एवं बाल हेल्प लाइन उत्तरकाशी द्वारा दिनांक– 21.02.2018 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन Family welfare

committee Uttarkashi उत्तरकाशी को पीड़िता श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री उत्तम लाल निवासिनी ग्राम बड़ेथी, जनपद उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र काउंसलिंग हेतु प्रेषित किया गया, जो भा0द0सं0 की धारा– 498 क, से सम्बन्धित था। प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का उल्लेख पीड़िता द्वारा काउंसलिंग के दौरान भी सदस्यों के समक्ष किया गया। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी उत्तम जो कि जिला उद्यान विभाग में उपनल के जरिये माली के पद पर कार्यरत है, प्रार्थीनी के साथ आये दिन शराब का सेवन कर अभद्रता करता है, तथा घर पर खाने पीने की आवश्यक चीजें न लाकर प्रार्थीनी का उत्पीड़न करता है, इसी से क्षुब्ध होकर उसके द्वारा आरोपी के विरूद्ध दहेज उत्पीड़न सम्बन्धी उक्त शिकायत पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की गयी है। मैनें व समिति के अन्य सदस्यों द्वारा दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न उपरोक्त विवाद के सुलह के प्रयास व कोई निदोर्ष व्यक्ति किसी गलत मामले में दहेज उत्पीड़न का शिकार न हो, को दृष्टितगत रखते हुये दोनों पक्षों को समझा बुझाकर उन्हें सुखी जीवन व्यतीत करने व आरोपी को भविष्य में किसी भी प्रकार का नशा न करने की हिदायत देते हुये आरोपी से इस संदर्भ में पीडिता को लिखित आश्वासन देने हेतु कहा गया, जिस पर दोनों पक्षों के मध्य 10.00 रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर एक लिखित सुलहनामा तहरीर हुआ, जिसके आधार पर दोनों पक्षों के मध्य लम्बित विवाद पर गतिमान कानूनी कार्यवाही को इसी स्तर पर समाप्त करने हेतु तदनुसार ही अपनी ऑख्या पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित की गयी और वर्तमान समय में दोनों ही पक्ष बतौर पति–पत्नी अपने बच्चों के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रहे है।

इसी प्रकार दिनांक– 23.01.2018 को श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री संदीप रावत निवासिनी ग्राम सेकू, जिला उत्तरकाशी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित धारा– 498 क, भा0द0सं0 से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को बुलाकर जब काउंसलिंग करवायी गयी तो पीड़िता चंद्रकला द्वारा बताया गया कि आरोपी वाहन चालक का कार्य करता है तथा पीड़िता व अपने बच्चों के लिये कोई भी रोजमर्रा का सामान लेकर नहीं आता और आये दिन शराब पीकर मस्त रहता है, इसी से क्षुब्ध होकर उसने उसके विरूद्ध उक्त शिकायत प्रेषित की है। इस पर मेरे व समिति के अन्य सदस्यों द्वारा दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का अथक प्रयास कर एक ही दिन दोनों के मध्य तीन चरणों में काउंसलिग करवायी गयी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के मध्य चल रही कानूनी कार्यवाही समाप्त हुयी और वर्तमान में दोनें ही पक्ष सुखी–2 अपना गृहस्थ जीवन यापन कर रहे है।

अतः सफल कहानियां सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक– 13.04.2018

(दीपक कुमार राणा)

PLV District legal aid Clinic & member of family welfare committee DLSA Uttarkashi.